SPUP

BACHPAN RAHEGA BACHPAN — MAKE JAIPUR CHILD LABOUR FREE

Department of Labour
Government of Rajasthan
सत्यमेव जयते

Center for Child protection

''बालश्रम मुक्त जयपुर''
''आओ हम सब मिलकर जयपुर को बालश्रम मुक्त बनाऐं''

☞ क्या आप जानते है 2011 में हुयी जनगणना के अनुसार भारत में एक करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रमिक एवं लगभग 2.3 करोड़ बच्चे कामकाजी श्रेणी में है।

☞ जयपुर में ज्यादातर बच्चे अन्य राज्यों जैसे बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से लाये जाते है।

बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधन, 2016 में यह स्पष्ट किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे से बालश्रम कराना एवं 14 से 18 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को जोखिम भरे कार्यों में लगाना कानूनी अपराध है।

बच्चों से किसी भी प्रकार का बालश्रम कार्य जैसे जेम पालिशिंग, आरी–तारी, कारपेट बनाने, घरों में काम, खदानों, ढ़ाबों, रेस्टोरेन्ट, थड़ियों, चूड़िया बनाते हुए, प्रतिष्ठानों, कालॉनियों, मोहल्ला, बस्तियों, घरों में, कृषि मजदूरी या किसी खतरनाक कार्य आदि में नहीं लगाया जा सकता।

बालश्रम से नुकसानः

- बालश्र से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
- बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है।
- बच्चा पूरी जिन्दगी एक मजदूर वर्ग बन कर रह जाता है।
- बच्चा खतरनाक रोगों जैसे टी.बी., सिलोकोसिस, हड्डी के रोगों व अन्य बिमारीयों से ग्रस्त हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे को असमय मृत्यु हो सकती है।

यदि आपको कोई बच्चा, ''बाल श्रमिक या खतरनाक कार्य'' करते हुए मिलता है तो आप निम्न संस्थाओं में से किसी से भी सम्पर्क कर सकते हैः–

1. हेल्प लाईन :

चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 जरूरतमंद बच्चों के लिए 24X7 निःशुल्क सेवा है। यदि आप कहीं भी किसी बच्चे को बालश्रम करते हुऐ देखे तो तुरन्त ही 1098 पर या पुलिस को 100 नम्बर पर सूचित करें।

2. पेन्सिल पोर्टल :

श्रम विभाग द्वारा संचालित पेन्सिल पोर्टल www.pencil.gov.in पर बालश्रम बच्चों की सूचना ऑन लाईन दी जा सकती है।

3. जिला बाल श्रम टास्क फोर्स (डी.सी.एल.टी.एफ.):

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में ''जिला बाल श्रम टास्क फोर्स'' की प्रतिमाह बैठक का प्रावधान है। जिसमें जिला प्रशासन, एस0डी0एम0, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, चाईल्ड लाईन 1098 व संबंधित संस्थाओं को बालश्रम की पहचान, रेस्क्यु, पुनर्वास आदि करने के लिए निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

4. बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यु.सी.) :

बाल कल्याण समिति देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य करती है। यदि किसी बालश्रमिक बच्चे को समिति के समक्ष पेश किया जाता है तो समिति बच्चे की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास व पुनर्वास के लिए आदेष जारी करती है।

5. जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) :

बाल अधिकारिता विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई सभी जिलों में संचालित है। यह इकाई देखरेख संरक्षण एवं जरूरतमंद बच्चों एवं विधि के सम्पर्क में आये बच्चों के आवास, भोजन, चिकित्सा, परामर्श, शिक्षण–प्रशिक्षण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

6. विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) : यह इकाई बच्चों के लिए निम्न काम करती है:–

- बालश्रमिक, तस्करी, भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों की पहचान करती है।
- ऐसे बच्चों का टीम के साथ रेस्क्यु करती है।
- ऐसे कार्यों में लिप्त नियोजकों, बिचौलियों के खिलाफ कार्यवाही करती है।
- यदि कोई बालश्रम, भिक्षावृत्ति, स्ट्रीट चिल्ड्रन, खोया, पाया एवं अन्य जरूरतमंद बच्चा मिलता है, तो पुलिस 24 घण्टे की भीतर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष करती है।

7. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (आर.एस.सी.पी.सी.आर) :

बाल आयोग बच्चों के अधिकारों (जीने का अधिकार, विकास का अधिकारी, संरक्षण का अधिकार एवं सहभागिता का अधिकारों) पर कार्य करती है। जिसके तहत बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग निम्न कार्य करती है।

- जरूरतमंद बच्चों के मुद्दों पर स्वंय प्रसंज्ञान लेती है।
- बालश्रमिक, भिक्षावृत्ति एवं जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास में संबंधित राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु पाबन्द करता है।
- बच्चों के संरक्षण के लिए कोई भी व्यक्ति सीधे आयोग से सम्पर्क कर सकता है।
- बाल श्रम संबंधी कोई भी सूचना आयोग की वेबसाइट www.rscpcr.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।

सजा का प्रावधान:

- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 78 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना व क्रय विक्रय करवाने पर उस व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधन, 2016 के धारा 14 (1) के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम करवाने पर एवं 14 से 18 आयु के बच्चों से जोखिम भरे काम कराने पर 6 माह से 2 साल की सजा एवं 20,000/– से 50,000/– रूपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- यदि माता–पिता या रिश्तेदार बच्चे/किशोर से जोखिम वाले काम करवाते हैं तो, उसके लिए भी दण्ड का प्रावधान है।

अपील

"आपका एक फोन 1098/100 या पेंसिल पोर्टल www.pencil.gov.in पर एक शिकायत बच्चे का भविष्य बदल सकता है।"

"आओं हम सब हाथ मिलायें– बालश्रम मुक्त समाज बनायें"